मा0 राष्ट्रीय सहित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 513/2022 राजीव चोपड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.08.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय सहित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 513/2022 राजीव चोपड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.08.2022 के बिन्दु संख्या 1 में " Mr. Rajeev Chopra resident of village Pali, Post Office Bhogpur, District Dehradun, which is treated and registered as original application, is regarding illegal encroachment on strom water drain of Khaldar and cutting of seven big grees for construction of community centre at village Majhola-Rakhwal, Block Doiwala, Tehsil Rishikesh, District Dehradun " के अनुक्रम में निम्न अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन किया गया।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. जलशक्ति मंत्रालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

प्रकरण के सम्बन्ध में गठित समिति एवं निम्न अधिकारियों/सदस्यों द्वारा प्रकरण ग्राम मसोला ग्राम सभा–रखवाल गांव, ब्लॉक डोईवाला, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून क्षेत्र के अन्तर्गत 07 बड़े हरे पेड़ों का अवैध कटान एवं खलदार के बरसाती गदरे पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा प्रकरण पर संयुक्त निरीक्षण दिनांक 14.03.2023 को किया गया, जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार रहा:–

1. डा0 अमृता शर्मा, तहसीलदार, ऋषिकेश, देहरादून।
2. श्री राकेश कण्डारी, सहायक पर्यावरण अभियंता, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री अनिल सिंह रावत, उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश।
4. श्री अनुभव नौटियाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, ऋषिकेश।

ग्राम पाली, परगना पछवादून, तहसील ऋषिकेश (देहरादून) की खतौनी संख्या–56 के भूमि ख.न. 47घ, रकबा 0.0050 हे0 भूमि श्रेणी –S.1, नईपरती के रूप में दर्ज है एवं खाता संख्या 57 के भूमि ख.न. 47 ग रकवा 0.0080 हे0 भूमि कोणी S.3/बंजर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर सामुदायिक भवन (61x51 फिट) निर्माणाधीन है। संयुक्त समिति को निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर किसी प्रकार का जल स्रोत एवं जलधारा नहीं पायी गयी और न ही उक्त भूमि पर वर्तमान समय में पेड़ो के कटान एवं पातन के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

ग्राम पाली, परगना पछवादून, तहसील ऋषिकेश (देहरादून) की खतौनी खाता संख्या 60 के भूमि ख.नं. 163, रकवा 0.0650 है0 भूमि की श्रेणी– 6(1) जलमग्न भूमि (खाला) के रूप में दर्ज है। उक्त स्थल पर सीमेन्टिड पक्का रास्ता बना हुआ है। ग्राम का शजरा 1400 फसली में उक्त ख.न. 163 में रास्ते का चिन्ह आंकित है।

(अनुभव नौटियाल)
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, ऋषिकेश

(अनिल सिंह रावत)
उप प्रभा0वनाधिकारी
ऋषिकेश

(राकेश कण्डारी)
सहा0पर्या0अभियन्ता
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

(डा0 अमृता शर्मा)
तहसीलदार,
ऋषिकेश,

OA NO – 513/2022 Rajeev Chopra VS State of Uttarakhand

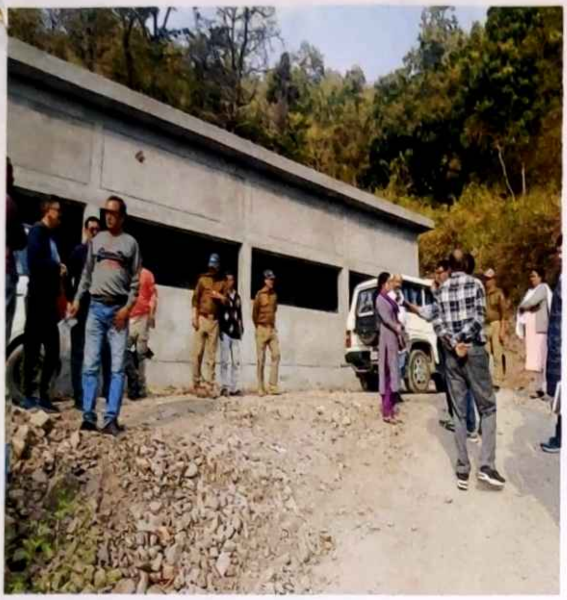

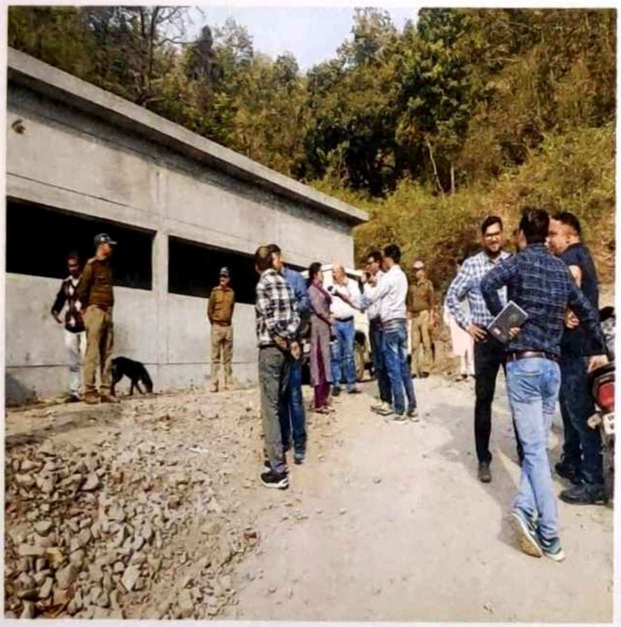

Community centre, vill – Majhola-Rakhwal, Teh Rishikesh

महोदय, संलग्न पत्र सं० | एस.पी.एस.-विविध पत्रा०-2022 दिनांक 06.3.2023, कार्यालय उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, जनपद-देहरादून

विषय:- मा० एन.जी.टी. में योजित मूल आवेदन पत्र सं. 513/202 राजीव चोपड़ा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.8.2 के अनुपालन में दिनांक 14.3.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, आख्या निम्नवत है:-

यह कि ग्राम पाशी, परगना-परवादून, तहसील-ऋषिकेश (देहरादून) की खतौनी सं. 58 के भूमि ख.नं. 47घ रकबा 0.0050 है० भूमि श्रेणी-5-1, नई परती के रूप में दर्ज है, एवं खाता सं. 57 के भूमि ख.नं. 47ग रकबा 0.0080 है० भूमि श्रेणी-5-3 | बंजर के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि पर सामुदायिक भवन निर्माणाधीन उक्त भूमि पर वर्तमान समय में पेड़ों से सम्बन्धित साक्ष्य नहीं मिले हैं।

यह कि ग्राम पाली परगना-परवादून तहसील-ऋषिकेश जिला-देहरादून की खतौनी खाता सं. 60 के भूमि ख.नं. 163 रकबा 0.0650 है० भूमि श्रेणी-6(1) जलमग्न भूमि (नाला) के रूप में दर्ज है, स्थल पर उक्त भूमि पर सीमेन्टेड पक्का रास्ता बना हुआ है। ग्राम का शजरा 1400 फसली में उक्त ख.नं. 163 में रास्ते का चिह्न अंकित है।

अतः आगामी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित है।

14/3/2023
रा.उ.नि.
ऋषि